न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प, भोपाल

प्रकरण क्रमांक

हरनामसिंह आ० श्री अमानसिंह जाति सांसी

निवासी भोजपुरिया पचोर जिला राजगढ़ ---- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- मोडसिंह आ० श्री बनेसिंह,

२- नारायणसिंह आ० बनेसिंह

१६२, निवासी ग्राम पुरानी पचोर

जिला राजगढ़ (म०प्र०)

३- श्यामलाल कोली आ० गोपीलाल,

४- रामकिशोर आ० गोपीलाल,

५- दुर्गाप्रसाद आ० गोपीलाल

३ से ५ निवासीगण वार्ड क्रमांक ६,

कोली मोहल्ला पुरानी पचोर तहसील

पचोर जिला राजगढ़ (म०प्र०) - - - - - गैरनिगरानीकर्त्तागण

म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १६५६ की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक ७/अपील/अ-६/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक २४-११-२०१६ से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---000---

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्त्ता को प्रतिनिगरानीकर्त्ता क्रमांक ३, ४, ५ द्वारा दिनांक ५-१-१६ को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खसरा नंबर १७८६ रकबा १-५३१ हेक्टर भूमि विक्रय की गई विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्त्ता ने तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया तथा प्रकरण में इश्तहार जारी किया गया इश्तहार उपरान्त प्रतिनिगरानीकर्त्ता क्रमांक १ व २ ने आपत्ति की तथा प्रकरण जवाब हेतु नियत किया

---२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक : 4031–PBR/2016 निगरानी जिला राजगढ़

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ता
9-1-19	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्र.क. 7/16–17अ–6 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-11–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुसार निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्व पीढ़ित पक्षकार को कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	